

केन्द्रीय विद्यालय

सी-2 एरिया जनकपुरी, नई दिल्ली -58
सी.बी.एस.ई संबद्धता संख्या: 2700007
दूरभाष: 011-25551376



KENDRIYA VIDYALAYA

C-2, Area, Janakpuri, New Delhi - 58
C.B.S.E Affiliation No. :- 2700007
Tele No. 011-25551376

वेबसाइट : www.janakpuri.kvs.ac.in

E-MAIL kvjanakpurinewdelhi58@gmail.com

फा.18/ टेंडर / के.वि.जनकपुरी/2021/

दिनांक: 13.10.2021

निविदा दस्तावेज : 13.10.2021 से
बोली सुरक्षा (ईएमडी) : रु 10000/-
निविदा दस्तावेज का मूल्य : रु. 1000/-
सुरक्षा जमा : 10% वार्षिक भुगतान का
स्पीड पोस्ट द्वारा विद्यालय पहुंचने की अंतिम तिथि : 25.10.2021

अगर निविदा दस्तावेज विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो रु 1000/- (एक हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट अलग से लगाना होगा जो कि प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय जनकपुरी (वि वि एन खाता), नई दिल्ली के नाम देय होगा।

निविदा दस्तावेज: (खुली निविदा पूछताछ) (बागवानी)

विषय: सेवा अनुबंध के माध्यम से जन शक्ति (बागवानी कार्य) प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता की सेवा लेने हेतु बोली (खुली निविदा पूछताछ) के आमंत्रण के लिए नियम एवं शर्तें और निविदा दस्तावेज।

महोदय/महोदया

केन्द्रीय विद्यालय जनकपुरी, नई दिल्ली, केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रशासित एक नागरिक क्षेत्र (civil sector) विद्यालय है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन, समाज पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक केन्द्रीय पूर्ण वित्त पोषित स्वायत्तशासी निकाय है। संगठन केन्द्रीय विद्यालय की योजना को स्थानान्तरणीय केंद्र सरकार/ परियोजनाओं / रक्षा कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशासित करता है।

2. केन्द्रीय विद्यालय जनकपुरी, नई दिल्ली द्वारा, जैसा कि नीचे बताया गया है, कार्य आदेश जारी करने की तिथि से एक साल की अवधि के लिए सेवा अनुबंध के माध्यम से विद्यालय में बागवानी कार्य के लिए जनशक्ति प्रदान करने हेतु प्रतिष्ठित एवं पंजीकृत सेवा प्रदाता फर्म से मुहरबंद प्रतिस्पर्धी बोलियों (खुली निविदा पूछताछ) को आमंत्रित किया गया है: -

2. (क)

विद्यालय का क्षेत्र / स्थान	लगभग 7.37 एकड़ (निर्माण क्षेत्र और ग्राउंड), लगभग 60 कमरे और 26 टॉयलेट रूम, मीटिंग रूम, लाइब्रेरी, गलियारा, सीढ़ियों, बाग-बगीचों और खुले क्षेत्र के साथ सीमा की दीवारों-के आसपास के क्षेत्र भी शामिल हैं। सेवा प्रदाता फर्म को स्थान देखने की सलाह दी जाती है।
विद्यालय का पता	: केन्द्रीय विद्यालय जनकपुरी, C 2 एरिया, नई दिल्ली 110058

2. (ख) जनशक्ति की आवश्यकता

क्रम संख्या	जन शक्ति का प्रकार	आवश्यक संख्या	लिंग	कार्य अवधि
1	अकुशल माली (कृषि कार्य)	03	पुरुष/महिला	8:00 AM से 4:00 PM

रविवार ,राजपत्रित अवकाश,प्रतिबंधित अवकाश को छोड़कर, पूरे महीने, प्रति दिन रविवार , राजपत्रित अवकाश, प्रतिबंधित अवकाश को छोड़कर, पूरे महीने, प्रति दिन तीन पुरुष माली, प्रातः 8:00 से 4:00 तक । आने का समय विद्यालय के समय के अनुसार परिवर्तनीय है जिसे आदेश के माध्यम से सूचित किया जायेगा। कुल कार्य अवधि 8 घण्टे प्रतिदिन प्रति जनशक्ति की होगी ।

उपलब्ध कराए गए जनशक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य की एक रूपरेखा निम्नानुसार विस्तृत है जिसे सेवा प्रदाता द्वारा अपने निर्देशन में विद्यालय के द्वारा बताये गये रीति से पूर्ण कराना होगा : -

क्रम संख्या	जन शक्ति का प्रकार	कार्य की जिम्मेदारी
1	अकुशल माली (कृषि कार्य)	विद्यालय के गमलों एवम् बाग-बगीचों एवं फुलवारीयों को विकसित करना और रख-रखाव करना । पेड़ पौधों की एवम मैदान की घास की काट-छांट करना ।

3. उद्धरित मूल्य

(क) केवल संलग्नक 'ए' के प्रारूप में बोलीदाता उस ऐकिक (यूनिट) दर का उद्धरण करेगा जिसमें सेवाओं के शुल्क (लाभ और प्रशासनिक शुल्क सहित) शामिल होंगे । अर्धकुशल माली (कृषि कार्य) हेतु 01 अप्रैल 2021 से लागू केवल ऐसी न्यूनतम मजदूरी दर स्वीकृत की जायेगी जो दिल्ली के लिये समय-समय पर घोषित -

1. श्रम आयुक्त दर केंद्र सरकार या

2. **कलेक्टर दक्षिण - पश्चिम दिल्ली** दिल्ली सरकार द्वारा घोषित दर में से अधिकतम होगी।

ईपीएफ, ईएसआई लागू नियमानुसार दर से देय होंगे । विद्यालय द्वारा भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कोई भी अन्य वैधानिक कर बोलीदाता संलग्नक 'ए' में अलग से उद्धृत करेगा।

(ख) शैक्षणिक संस्थानों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए सेवा कर लागू नहीं है।

(ग) उद्धृत दर अनुबंध की अवधि के लिए तय की जाएगी और यदि संशोधन किया गया है तो वैधानिक प्रावधानों को छोड़कर समायोजन के अधीन नहीं किया जाएगा।

वैधानिक प्रावधानों के कारण दर में परिवर्तन के मामले में केवल ऐसे परिवर्तन स्वीकार किए जाते हैं और लाभ / सेवा प्रभार आदि का कोई अतिरिक्त (%) दायित्व नहीं है। ऐसे में बोली लगाने के दौरान बोलीदाता को विशेष रूप से, इस संबंध में दर आदि का हवाला देना चाहिए।

(घ) बोली सुरक्षा धन (ईएमडी) के लिये बोलीदाता को बोली जमा / प्रस्तुत करने के दिनांक से 135 दिनों के लिए मान्य बैंक गारंटी के रूप में रूपये 10000 = 00 "केन्द्रीय विद्यालय जनकपुरी , नई दिल्ली वी.वी.एन. खाता" के पक्ष में खाते में देय बैंक ड्राफ्ट (डीडी) / भुगतान आदेश " जो दिल्ली पर देय हो, पूर्णतः भरे निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा । सफल बोलीदाता से अनुबंध होने के बाद बकाया धन असफल बोलीदाताओं को वापस कर दिया जाएगा।

(ङ) चयनित फर्म को "प्रदर्शन सुरक्षा राशि" (एसडी) के लिए 10% (12 महीने के लिए अनुमानित लागत) की राशि को अनुबंध होने की तिथि से 12 महीने तक वैध बैंक गारंटी या "केन्द्रीय विद्यालय जनकपुरी , नई दिल्ली वी.वी.एन. खाता" के पक्ष में खाते में देय डीडी के रूप में विद्यालय में जमा करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा "प्रदर्शन सुरक्षा राशि" , अनुबंध होने की अधिसूचना की तारीख से दस दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा । बोली सुरक्षा धन (ईएमडी) केवल अनुबंध किये जाने वाली फर्म द्वारा "प्रदर्शन सुरक्षा राशि" प्रस्तुत करने के बाद लौटाया जाएगा।

(च) टेलिक्स या प्रतिकृति या ई-मेल से प्रेषित बोली स्वीकार्य नहीं हैं। निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पन्ने पर निविदाकर्ता का इंक से मूल हस्ताक्षर किया होना अनिवार्य है।

(छ) बोलीदाता अनुलग्नक 'ए' में ओवरहेड और लाभ सहित सेवा शुल्क अनिवार्य रूप से उद्धृत करेगा और यह राशि **कुल मासिक पारिश्रमिक का 2% से कम नहीं होना** चाहिये।

4. प्रत्येक बोलीदाता को बोली सुरक्षा धन (ईएमडी) के साथ केवल एक बोली जमा करनी होगी (तकनीकी और वाणिज्यिक प्रत्येक एक अलग सीलबन्द लिफाफे में जो एक बड़े लिफाफे में सीलबंद हो) जो विद्यालय से निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा कर प्राप्त किये गये मूल प्रारूप पर अथवा विद्यालय की वेबसाईट :www.janakpuri.kvs.ac.in डाउनलोड सेक्शन से प्राप्त किये गये निविदा प्रारूप पर निविदा प्रपत्र मूल्य डीडी सहित जो "केन्द्रीय विद्यालय जनकपुरी, नई दिल्ली वी.वी.एन. खाता" के पक्ष में दिल्ली पर देय होनी चाहिये।

5. **बोली की वैधता:** - बोली की वैधता बोली जमा करने के अंतिम तिथि से कम से कम 90 दिनों के बाद की अवधि के लिए वैध रहेगी।

6. **नियम और शर्तें:-**

(क) संविदाकारी एजेंसी अपने कर्मचारियों को पारिश्रमिक केन्द्रीय विद्यालय जनकपुरी, नई दिल्ली के परिसर में विद्यालय प्रतिनिधि की मौजूदगी में रेखांकित चेक / आर.टी.जी.एस. / एन.इ.एफ.टी. के माध्यम से वितरित करेगा एवं अपने कर्मचारियों के बैंक खाते को अद्यतन करा कर भुगतान का साक्ष्य विद्यालय प्रतिनिधि को प्रस्तुत करेगा। संविदाकारी एजेंसी अपने कर्मचारियों को, श्रम नियमों के अनुसार, पारिश्रमिक भुगतान के लिए सीधे उत्तरदायी होगा एवं ऐसे अन्य लाभों को शामिल करेगा, जो प्रासंगिक अधिनियमों और विनियमों के तहत उसके कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। केन्द्रीय विद्यालय जनकपुरी, नई दिल्ली, संविदाकारी एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति के किसी भी ऐसे दावे ग्रहण नहीं करेगा और इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(ख) संविदाकारी एजेंसी अनुबंध के बाद के प्रत्येक माह के 5 तारीख तक अपने कर्मचारियों को श्रम नियमों एवं केन्द्रीय विद्यालय जनकपुरी, नई दिल्ली से किए गए अनुबंध के अनुसार मासिक वेतन का भुगतान रेखांकित चेक / आर.टी.जी.एस. / एन.इ.एफ.टी. के माध्यम से वितरित करेगा एवं अपने कर्मचारियों के बैंक खाते को अद्यतन करा कर भुगतान का साक्ष्य विद्यालय प्रतिनिधि को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।

(ग) संविदाकारी एजेंसी अपने कर्मचारियों को भुगतान करने के साक्ष्य एवं निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ समर्थित चालान / बिल प्रत्येक माह के 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगी: -

(अ) प्रत्येक भुगतान के लिए कर्मचारियों के अद्यतन बैंक खाता प्रति के साथ रेखांकित चेक के माध्यम से / आर.टी.जी.एस. / एन.इ.एफ.टी. से चेक संख्या सहित मासिक वेतन वितरण का विवरण।

(आ) कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित डेली वेज रजिस्टर जो संविदाकारी एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

(इ) ईपीएफ, ईएसआई और किसी भी अन्य लागू कर के रूप में सांविधिक दायित्व के भुगतान का प्रमाण। ईपीएफ, ईएसआई जमा होने का सत्यापन अनिवार्य रूप से संविदाकारी एजेंसी के **कर्मचारियों के मोबाईल पर प्राप्त हुये संदेश एवं ईपीएफ, ईएसआई की वेबसाईट से किया जायेगा** एवं उसके उपरांत अनुबंध एजेंसी को सांविधिक दायित्व का भुगतान किया जायेगा।

संविदाकारी एजेंसी को भुगतान, चालान की प्राप्ति की तारीख से 10 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।

(घ) संविदाकारी एजेंसी अपने सभी कर्मचारियों को विद्यालय कार्यालय द्वारा सुझाए गए प्रारूप वाले पहचान पत्र प्रदान करेगी जो अनुबंध की अवधि के लिए मान्य हो।

(ङ) संविदाकारी एजेंसी सभी वैधानिक दायित्वों का पालन करेगी। वास्तविक गणना के अनुसार लघु परिवर्तनों को माँगकर्ता / क्लाइंट द्वारा वहन किया जाएगा।

(च) बोली लगाने वाली एजेंसी द्वारा दिल्ली / केन्द्रीय सरकार के अधिकृत विभाग से संदर्भित कार्य के लिए प्राप्त वैध पंजीकरण की प्रमाणित प्रति जमा करना अनिवार्य है। विफल होने पर बोली को अयोग्य / गैर-उत्तरदायी माना जाएगा।

(छ) केन्द्रीय विद्यालय जनकपुरी, नई दिल्ली का सामान्य विद्यालय / कार्यालय कार्यकाल सप्ताह में छः दिन सोमवार से शनिवार तक दो पालियों में प्रथम पाली सुबह 07:00 बजे से दोपहर 12.30 तक एवम द्वितीय पाली दोपहर 12.30 से शाम 6:30 बजे तक होता है। हालांकि, संविदाकारी एजेंसी रविवार, राजपत्रित अवकाश, प्रतिबंधित अवकाश, ग्रीष्म, शरद एवं शीत अवकाश काल को छोड़कर, जब तक कि लिखित मांग पर और अन्यथा आवश्यक नहीं हो, पूर्व-पृष्ठ पर दिखाए गए कार्य समय एवं संख्या के अनुसार 08:00 पूर्वाह्न से 4:00 अपराह्न तक माली / रोजगार आदि की सेवा प्रदान करेगी, केन्द्रीय विद्यालय जनकपुरी, नई दिल्ली और/अतिरिक्त जनशक्ति की सेवाओं के लिए अनुरोध करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उद्धृत दर के अनुसार माँगकर्ता द्वारा अतिरिक्त जनशक्ति के लिए संविदाकारी एजेंसी को भुगतान दिया जाएगा।

(ज) किसी भी कार्य दिवस पर संविदाकारी एजेंसी के कर्मचारियों अनुपस्थित होने के मामले में, मासिक पारिश्रमिक निम्नलिखित फॉर्मूले के अनुसार विनियमित होंगे-

कुल मासिक पारिश्रमिक = मासिक पारिश्रमिक - ए₁

जहां ए₁ = [(मासिक वेतन) / (महीना में दिनों की संख्या)] x अनुपस्थिति के दिन

(झ) केन्द्रीय विद्यालय जनकपुरी, नई दिल्ली में कार्य से अनुपस्थिति / अनुचितता के कारण कर्मचारी के प्रतिस्थापन को 24 घंटों के भीतर सुनिश्चित करना होगा। किसी दिन एक से अधिक अनुपस्थित कर्मचारी या एक से अधिक लगातार दिनों के लिये किसी एक कर्मचारी की अनुपस्थिति के प्रतिस्थापन न होने की स्थिति में प्रति कर्मचारी रुपये 100=00 (सौ रुपये मात्र) प्रतिदिन दण्डात्मक शुल्क संविदाकारी एजेंसी पर अधिरोपित किया जायेगा जिसे संविदाकारी एजेंसी के "प्रदर्शन सुरक्षा राशि" (एसडी) से काटा जायेगा।

(ञ) **संविदाकारी एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए कर्मचारियों / जनशक्ति को केन्द्रीय विद्यालय जनकपुरी, नई दिल्ली द्वारा जांच के बाद ही स्वीकार किए जाएंगे। इसलिए, संविदाकारी एजेंसी प्रत्येक श्रेणी में प्रत्येक स्लॉट के लिए न्यूनतम तीन-चार बायो-डेटा उपलब्ध करायेगी।** कर्मचारियों / जनशक्ति को व्यक्तिगत चर्चा के लिए भी आमंत्रित किया जा सकता है। इसके लिये केन्द्रीय विद्यालय, जनकपुरी, नई दिल्ली द्वारा कोई वाहन या कोई अन्य शुल्क नहीं दिया जाएगा। यदि कोई भी उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो 24 घंटों के भीतर अतिरिक्त बायो डेटा संविदाकारी एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

(ट) संविदाकारी एजेंसी को केन्द्रीय विद्यालय जनकपुरी, नई दिल्ली के साथ 100/- गैर ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा। संदर्भ के लिए मानक अनुबंध (संलग्नक- बी) संलग्न है। निविदा दस्तावेज और स्वीकार किए गए बोली में निर्दिष्ट अन्य नियम और शर्तें भी मॉडल समझौते का हिस्सा होंगी।

(ठ) किसी भी हानि, चोरी गए / कर्मियों द्वारा चोरी / कर्मियों के कारण होने वाली चोरी / विध्वंस के मामले में केन्द्रीय विद्यालय जनकपुरी, नई दिल्ली, संविदाकारी एजेंसी से होने वाले नुकसान का दावा करने और ठीक कराने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(ड) संविदाकारी एजेंसी अपने सभी कर्मचारियों के चरित्र एवं वृत्तियों का पुलिस से सत्यापित करायेगी और काम के लिए **तैनाती से पहले माँगकर्ता (विद्यालय) को प्रस्तुत करेगी।**

(ढ) विद्यालय में संविदाकारी एजेंसी शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से सतर्क कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 55 वर्ष की आयु के कर्मचारियों की तैनाती करेगी। कार्य के लिए तैनाती से पहले संविदाकारी एजेंसी भी यह सुनिश्चित करेगी कि लगाये गये बागवानी कर्मी सभी संक्रामक रोगों से मुक्त हो।

(ण) संविदाकारी एजेंसी अपने कर्मचारियों को चिन्ह के साथ प्रभावी ग्रीष्मकालीन वर्दी के साथ-साथ सर्दियों की वर्दी प्रदान करेगा।

(त) मासिक भुगतान से नियमों के अनुसार टीडीएस कटौती की जाएगी।

(थ) केवीएस लेखा संहिता के पृष्ठ 242 से 245 के संलग्नक-1 के अनुसार सभी शर्तें भी (प्रति संलग्न) लागू होंगी।

(द) यदि दो या दो से अधिक बोली दाताओं की बोली समान पाई जाती है तो उस परिस्थिति में निर्णय सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त की गई समिति के द्वारा संविदाकारी एजेंसी द्वारा श्रेणी में उपलब्ध कराये गए कर्मचारियों के बायो डाटा के आधार पर किया जाएगा। संविदाकारी एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गए सभी कर्मचारियों का COVID टीकाकरण महत्वपूर्ण होगा। कर्मचारियों का केन्द्रीय विद्यालय में कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। ज्यादा महिला कर्मचारियों वाली संविदाकारी एजेंसी को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राचार्य/ अध्यक्ष वि.प्र.स./उपायुक्त, के.वि.सं. (दि.सं.) का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

7. बोली का मूल्यांकन: -

प्रत्येक बोलीदाता निम्नलिखित ब्योरे के साथ **"तकनीकी बोली"** लिखे एक सीलबंद लिफाफे में तकनीकी बोली और **"वाणिज्यिक बोली"** लिखे एक सीलबंद लिफाफे में एक वाणिज्यिक बोली जमा करेंगे (दोनों लिफाफे " केन्द्रीय विद्यालय जनकपुरी, नई दिल्ली में बागवानी कर्मी की सेवा प्रदान करने के लिए बोली", लिखे एक सीलबंद लिफाफे जमा किये जायेंगे) : -

7 (ए) तकनीकी बोली:

यदि बोली के लिए तकनीकी बोली लिखे सीलबंद लिफाफे में निम्नलिखित सही ढंग से हस्ताक्षर किए दस्तावेज संलग्न हैं और इन नियमों और शर्तों को निम्नलिखित तरीके से पुष्टि करते हैं तो बोलियों को उत्तरदायी माना जाएगा-

(क) बोली निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा कर प्राप्त किये गये मूल प्रारूप पर अथवा विद्यालय के वेब-साईट <https://janakpuri.kvs.ac.in/> के डाउनलोड सेक्शन से प्राप्त किये गये निविदा प्रारूप पर निविदा प्रपत्र मूल्य के "केन्द्रीय विद्यालय जनकपुरी, नई दिल्ली वी.वी.एन. खाता" के पक्ष में देय डीडी सहित होनी चाहिये। निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर बोली

दाता का इंक से हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। निविदा फीस के बिना यदि कोई निविदा प्राप्त होती है तो उसे निविदा योग्य नहीं माना जाएगा।

- (ख) रुपये 10000 = 00 का बोली सुरक्षा धन (ईएमडी) जो बोली जमा / प्रस्तुत करने के दिनांक से 135 दिनों के लिए मान्य बैंक गारंटी के रूप में या "केन्द्रीय विद्यालय जनकपुरी, नई दिल्ली वी.वी.एन. खाता" के पक्ष में खाते में देय बैंक ड्राफ्ट (डीडी) / भुगतान आदेश " जो नई दिल्ली पर देय हो।
- (ग) स्वप्रमाणित जीवित प्रतिष्ठान पंजीकरण प्रमाणपत्र।
- (घ) ईपीएफ पंजीकरण के सबूत की नवीनतम और स्वप्रमाणित प्रति।
- (ङ) ईएसआई पंजीकरण के सबूत की नवीनतम और स्वप्रमाणित प्रति।
- (च) वैध श्रम लाइसेंस की नवीनतम और स्वप्रमाणित प्रति।
- (छ) जीवित पैन की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी और आयकर समाधान हेतु वर्तमान आयकर विवरणी।
- (ज) फर्म/ एजेंसी की संक्षिप्त जानकारी और यह पुष्टि करने के लिए साक्ष्य कि बोली लगाने वाले ने पिछले तीन वर्षों में समान प्रकृति और परिमाण के अनुबंध को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। (यदि सभी अन्य स्थितियां समान हैं तब प्राथमिकताएं इसी आधार पर तय की जाएंगी)।
- (झ) ग्राहकों की सूची के साथ तीन सालों के दौरान इस प्रकृति के किये गये कार्यों की लागत और अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

7 (बी) . वाणिज्यिक बोली : -

वाणिज्यिक बोली का परीक्षण उन बोलीदाताओं के लिए किया जाएगा जिनकी तकनीकी बोली से विद्यालय समिति संतुष्ट है। ठीक से हस्ताक्षरित पर्याप्त उत्तरदायी बोलियों का मूल्यांकन और तुलना निम्न आधार पर किया जाएगा-

- (क) सेवा प्रदान करने के लिए संलग्नक- "ए" के विभिन्न शीर्षों के तहत उद्धृत किए जाने वाली राशि। हालांकि, सामग्री की लागत, यदि कोई हो, प्रत्येक बोली के लिए अलग-अलग/विशिष्ट रूप से दिखाया जाना चाहिए।
- (ख) संलग्नक- "ए" के प्रत्येक स्तंभ को अनिवार्य रूप से भरना चाहिए। अनुलग्नक ए के स्तंभ संख्या 7 में उचित सेवा शुल्क एवं उपरी खर्च अनिवार्य रूप से भरा होना चाहिए। साफ-सफाई कर्मचारियों का पारिश्रमिक, दिल्ली के लिए 1. केंद्र सरकार श्रम आयुक्त की दर या 2. कलेक्टर दक्षिण - पश्चिम दिल्ली द्वारा घोषित दर [जैसा कि समय-समय पर घोषित माली (कृषि कार्य) कर्मचारियों के लिए लागू] जो भी केन्द्रीय विद्यालयों के लिये नियम के अनुसार लागू है की न्यूनतम मजदूरी देय होगी।
- (ग) नियम के अनुसार, केन्द्रीय विद्यालय जनकपुरी, नई दिल्ली के लिये सरकार द्वारा घोषित श्रम आयुक्त केंद्र सरकार / कलेक्टर दक्षिण - पश्चिम दिल्ली की न्यूनतम दर में से जो भी अधिक है, वह लागू है।
- (घ) संलग्नक- "ए" के सभी मर्दों/ शीर्षों के लिए मूल्यांकन किया जाएगा। माँगकर्ता कार्यालय सबसे कम दर वाले उत्तरदायी बोली लगाने वाले को अनुबंध प्रदान करेगा।
- (ङ) संलग्नक- "ए" और संलग्नक- 1 पर इंक से हस्ताक्षर किए गये हैं।

8. अनुबंध का प्रदान होना :

- (क) माँगकर्ता उस बोलीदाता को अनुबंध प्रदान करेगा जिनकी बोली उत्तरदायी होना निर्धारित है और जिन्होंने पैरा 7 (बी) के अनुसार सबसे कम दर उद्धृत की है।
- (ख) अनुबंध प्रदान करते समय उपरोक्त पैरा 2.(ख) में निर्दिष्ट जन शक्ति की आवश्यकता को कम करने और बढ़ाने के लिए माँगकर्ता का अधिकार सुरक्षित है।
- (ग) बोली मान्यता अवधि की समाप्ति से पहले, माँगकर्ता, बोलीदाता को बोली का अनुबंध प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जाना सूचित करेगा। स्वीकृत प्रस्ताव की शर्तों को अनुबंध में शामिल किया जाना जाएगा।
- (घ) उपरोक्त के बावजूद, माँगकर्ता को सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध के प्रदान करने से पहले किसी भी समय सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

9. बोलियों की प्राप्ति की अंतिम तिथि और समय :

आपको दिनांक 25.10.2021 तक केन्द्रीय विद्यालय जनकपुरी, नई दिल्ली के कार्यालय में **सिर्फ स्पीड पोस्ट द्वारा** (तकनीकी और वाणिज्यिक लिखे दोनों सील लिफाफे एक साथ एक सीलबंद लिफाफा में रखे हुये) निविदा " केन्द्रीय विद्यालय जनकपुरी, नई दिल्ली में माली की सेवा प्रदान करने के लिए बोली बोली", लिखे सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।

10. बोली खोलना: - केन्द्रीय विद्यालय जनकपुरी, नई दिल्ली के प्रधानाचार्य कक्ष में विद्यालय निविदा समिति, बोलीदाताओं / प्राधिकृत प्रतिनिधि यदि उपस्थित होते हैं, की उपस्थिति में दिनांक 26.10.2021 (मंगलवार) को पूर्वाह्न 10.00 बजे बोलियां खोली जाएंगी।

मॉगकर्ता , सेवा प्रदाताओं द्वारा केन्द्रीय विद्यालय जनकपुरी, नई दिल्ली मे सेवा प्रदान करने की अभिरुची की सराहना करते हुये केवल निविदा के साथ लगाए गए प्रारूप में बोली प्राप्त करने की आशा करते हैं।

भवदीय-

हस्ताक्षर -

नाम : - पुष्पा रानी यादव

पदनाम : - प्राचार्य

केन्द्रीय विद्यालय जनकपुरी, नई दिल्ली के लिए और की ओर से ।

Outsourcing Services

1. Name of Company/Firm :

2. Address (with proof) :

.....

.....

Contact Person's Name :

Tel. Office :Landline.....

Mobile.....

Office mail id :.....

Website if any :

3. PAN No. :.....

(please enclosed attested photo copy and attach copy of it clearance certificate)

4. EPF Registration No.

Valid up to date :.....

(please enclose attested photocopy)

5. ESI Registration No :.....

Valid up to date :.....

(please enclose attested photocopy)

6. Annual Turnover for the last 3 years

2018:.....

2019:.....

2020:.....

(please enclose copy of documents)

7. Experience of Work

(during the last three years along with yearly cost of assignment)

i).....

ii).....

iii).....

(please enclose copy of documents)

Signature of Tenderer :.....

बागवानी सेवा के लिए बोली के प्रारूप Format of Bid for Gardening Services

CATEGORY OF MANPOWER : UNSKILLED (GARDENER)

श्रम आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी दर
Rate of wages of Central Govt.

क्र. सं. S.No.	जनशक्ति की श्रेणी Category of Manpower	ऐकिक संख्या Unit Number	यूनिट मासिक वेतन Monthly remuneration for single man power	ईपीएफ दर% EPF rate in %	ईएसआई दर% ESI rate in %	ऐकिक संख्या के लिये सेवा प्रभार सहित ओवरहेड और लाभ) केवल रु में (Service charges including overhead and profit for unit number (in Rs. Only)	Total
1	2	3	4	5	6	7	(4+5+6+7)
1	UN-SKILLED GARDENER	1					

राज्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी दर
Rate of wages of State Govt.

क्र. सं. S.No.	जनशक्ति की श्रेणी Category of Manpower	ऐकिक संख्या Unit Number	यूनिट मासिक वेतन Monthly remuneration for single man power	ईपीएफ दर% EPF rate in %	ईएसआई दर% ESI rate in %	ऐकिक संख्या के लिये सेवा प्रभार सहित ओवरहेड और लाभ) केवल रु में (Service charges including overhead and profit for unit number (in Rs. Only)	Total
1	2	3	4	5	6	7	(4+5+6+7)
1	UN-SKILLED GARDENER	1					

(निविदादाता Bidder)

हस्ताक्षर Signature:..... नाम Name:.....

दिनांक और समय/ Date & Time..... SEAL

Note: -

- बोलीदाता उपरी (ओवरहेड) और लाभ सहित सेवा शुल्क **अनिवार्य रूप से रुपये** में उद्धृत करेगा और यह राशि कुल मासिक पारिश्रमिक का 2% से कम नहीं होना चाहिये। कम दर लगाने वाले को अनुबंध प्रदान किया जायेगा।

The amount for Service charges including overhead and profit in Rs and should not be less than 2% of total monthly salary. The contract will be awarded to the bidder whose bid has been determined to be substantially responsive and who has offered the lowest price.

2. शैक्षणिक संस्थानों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए सेवा कर लागू नहीं है।

Payment of service tax is exempted under section 93(1) of the Finance Act, 1994 (Circular No. 172/7/2013-ST Govt. of India, Ministry of Finance Dept. of Revenue Central Board of Excise & Customs Tax Research Unit order No. B1/14/2013-TRU, dated 19/09/2013.)

3. ऐसी न्यूनतम मजदूरी दर स्वीकृत की जायेगी जो साउथ वेस्ट दिल्ली के लिये समय-समय पर घोषित - 1. श्रम आयुक्त दर केंद्र सरकार या 2. कलेक्टर दक्षिण - पश्चिम दिल्ली द्वारा घोषित दर में से अधिकतम होगी।

Where both central and state government has fixed the minimum rates of wages, the rate of wages whichever is higher will be applicable and acceptable.

4. ईकाई दर और कुल दर में भिन्नता होने पर ईकाई दर मान्य होगी।

In case of discrepancy between unit price and total price, the unit price shall prevail.

5. कोई स्तंभ खाली या निरंक नहीं होना चाहिये।

No Columns should be left blank are filled NIL.

हम उपरोक्त जनशक्ति सेवा प्रदान करने, निविदा दस्तावेज में नियमों और शर्तों का पालन करने और साथ ही संलग्न प्रारूप में समझौते में शामिल होने के लिए सहमत हैं।

We agree to provide the above service manpower and to abide by the terms & conditions in the Tender document and also agree to enter into the agreement in the format enclosed.

बोली सुरक्षा (ईएमडी) रु. (रुपये का बैंक ड्राफ्ट

नंबर..... दिनांक

..... पर देय संलग्न है।

Bid security of Rs..... (Rupees) is furnished herewith vide Bank Draft

No.....dated.....drawn on.....

(निविदादाता Bidder)

हस्ताक्षर Signature:.....

नाम Name:.....

दिनांक और समय/ Date & Time.....

SEAL.....